भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-20

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं का नामांकन

*20. **श्री अजय भट्ट:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन करने हेतु छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्ष-वार और उत्तराखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में सोशल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं का नामांकन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अजय भट्ट द्वारा दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 20 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा क्षेत्र में समग्र गुणवत्ता और विकास में व्यापक और प्रगतिशील सुधार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें मिलकर कार्य करती हैं। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के सरोकारों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक पहचान जैसे गांवों, छोटे कस्बों और आकांक्षी ज़िलों तथा अन्य श्रेणियों के विद्यार्थी शामिल हैं। इस नीति का लक्ष्य पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक वर्गों के बीच के अंतर को कम करना है।

मंत्रालय ने जून 2023 में शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व के चरणों की प्रतिबद्ध देयताओं सहित 12,926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण का आरंभ किया है। पीएम-उषा परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए इस योजना का दिनांक 31 मार्च, 2028 तक और रूसा की जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 6 माह (अर्थात 30 सितंबर, 2026) तक विस्तार कर दिया गया है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं, को वित्तपोषित करना है, ताकि विनिर्दिष्ट मानकों और मानदंडों की उनकी अनुरूपता सुनिश्चित कर के उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। पीएम-उषा के तहत, निम्न सकल नामांकन अनुपात, जेंडर समानता, जनसंख्या समानुपात और महिलाओं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नामांकन समानुपात, आकांक्षी/ सीमावर्ती क्षेत्र/ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों आदि सहित विभिन्न मानदंडों के आधार पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। विशेषकर, पीएम-उषा के जेंडर समावेशन और न्यायसंगतता पहलों (जीआईईआई) घटक में अन्य बातों के साथ-साथ एसटीईएम,

व्यावसायिक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बालिकाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी को बढ़ावा देकर विशेषकर फोकस जिलों में उच्चतर शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में सुधार की परिकल्पना की गई है।

केंद्र सरकार ने देश भर के विद्यार्थियों जिनमें महिलाएं शामिल हैं, के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में कमी, और अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्तियाँ, कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति में प्राथमिकता देने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययन जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (एनएसपीजी)" योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यूजीसी नैट-कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और सावित्रीबाई ज्योति राव फुले एकल बालिका अध्येतावृत्ति के तहत एसटीईएम शिक्षा सहित सभी विषयों में पीएच.डी. करने के लिए यूजीसी अध्येतावृत्ति भी प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी "भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन का विकास" योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के माध्यम से शिक्षण, अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण और पहुँच विस्तार संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है। इस योजना के उद्देश्य शिक्षण, अनुसंधान और व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से महिला अध्ययन को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इसी तरह, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भी एआईसीटीई महिला प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा), एआईसीटीई पीजी छात्रवृत्ति योजना, एआईसीटीई डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (एडीएफ), एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा) और एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा) जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थानों के छात्र और छात्राओं के लिए जून 2024 में एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (पीडीएफ) योजना भी आरंभ की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के अवर स्नातक कार्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीटें सृजित की गईं, जिससे महिलाओं का नामांकन जो पहले 10% से कम था बढ़कर 20% से अधिक हो गया। एसटीएम शिक्षा में महिलाओं का नामांकन लगभग 43% है, जो विश्व में सर्वाधिक में से है।

उच्चतर शिक्षा वाले एसटीईएम संस्थानों में दीर्घकालिक अध्ययन अवधि और प्रयोगशाला संबंधी कार्यों के कारण छात्राओं के समक्ष कई चुनौतियाँ आती हैं, इसलिए बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में एसटीईएम में महिला भागीदारी को सहायता प्रदान करने लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई): वर्ष 2023-24 के अनुसार, विगत तीन वर्षों में देश में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2021-22 में 2.06 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2.23 करोड़ हो गया है। महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2021-22 में 28.5 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 31.2 हो गया। इस पूरी अवधि के दौरान, महिलाओं का जीईआर निरंतर रूप से पुरुषों के जीईआर से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई) 1 से अधिक रहा। इससे पता चलता है कि इन वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की भागीदारी से अधिक रही है।

उत्तराखंड राज्य में, महिलाओं का नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.82 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.24 लाख हो गया। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जीईआर वर्ष 2021-22 में 43.7 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 51.7 हो गया, जो वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय महिला जीईआर (31.2) से बहुत अधिक है। विगत तीन वर्षों के दौरान, जीपीआई 1 से ऊपर बना रहा, जो राज्य में उच्चतर शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक भागीदारी को दर्शाता है।
